न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 14/18

GCMS NO 2018/00098

1. हरकेश
2. कानजी
3. नानकराम
4. शंकर लाल पुत्रान हरिराम
5. बलासी पुत्री हरिराम
6. लक्ष्मी पुत्री हरिराम
7. पार्वती बेवा हरिराम
8. खेलंता पुत्री हरिराम अव्यस्क जरिये संरक्षक माता पार्वती मीना पत्नि हरिराम
9. भरतसिह पुत्र जयराम
10. अनिता
11. मनीषा पुत्रियां जयराम अव्यस्क जरिये संरक्षक माता केशन्ती
12. केसन्ती बेवा जयराम जाति मीना निवासी पाडली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल ब्राहम्ण
2. सीताराम पुत्र राधावल्लभ ब्राहम्ण निवासीयान पाडली तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 47/14 निर्णय दिनांक 25.1.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम बैष्णव

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

दिनांक 13.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.1.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम पाडली मे स्थित कृषि भूमि साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी 3 पर प्रार्थी का कदीमी समय से भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। सम्वत 2013 से 2016 की प्रथम जमाबंदी के खाता संख्या 103 सुखपाल पुत्र हरदेवा मीना के नाम दर्ज थी लेकिन ख0न0 140 नन्दकिशोर ,जगन्नाथ महाजन साकिन कुण्डेरा के नाम से उप कृषक राजस्व जमाबंदी मे दर्ज है। सम्वत 2025 से 2028 की जमाबंदी खाता संख्या 90 मे [illegible] देवा के नाम का इन्द्राज है। लेकिन साबिक ख0न0 140 पर भौतिक कब्जा [illegible] पूर्वजो के नाम का होने की ताईद खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2019 [illegible] सम्वत 2034 मे प्रार्थी के पूर्वजो का नाम बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज है। [illegible] उप कृषक नन्दकिशो[illegible]रूगनाथ महाजन सम्वत 2014 मे नन्दकिशोर,रामनिवास,प्रभूदय[illegible] ब्राहम्ण का नाम दर्ज है। [illegible] 2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मे बृजमोहन पुत्र मांगीलाल का 2 बीघा 9 विस्वा, रामनिवास 1 बीघा 7 विस्वा, नन्दकिशोर का 1 बीघा 2 विस्वा पर कब्जा काश्त है। सम्वत 2016 मे बृजमोहन पुत्र मांगीलाल 2 बीघा 9 विस्वा, रामविलास 1 बीघा 11 विस्व ,नन्दकिशोर 1 बीघा 2 विस्वा सम्वत 2017 मे इन्द्राज है। सम्वत 2018 मे बृजमोहन पुत्र मांगीलाल का सम्पूर्ण हिस्से पर, सम्वत 2019 मे रामविलास पुत्र दयाचंद का सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा काश्त है। सम्वत 2030 मे रामविलास, प्रभूदयाल पुत्रान दयाचंद एवं सम्वत 2033 तक इन्द्राज बदस्तूर साबिक इन्द्राज के अनुसार रहा। सम्वत 2034 मे सीताराम पुत्र राधावल्लभ ,लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल, रामविलास पुत्र दयाचंद ब्राहम्ण के नाम से खसरा गिरदावरी मे इन्द्राज है। साबिक ख0न0 140 के पास स्थित ख0न0 138, 139/1, 139/2, 139/3 पर प्रार्थी का भौतिक कब्जा काश्त होने के कारण नियमन हुई थी एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी मृतक प्रभूलाल का वारिस एवं पुत्र है। पारिवारिक बंटवारे मे साबिक ख0न0 140 का 3/4 हिस्से पर प्रार्थी का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। एवं 1/4 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 12 का भौतिक कब्जा होने के कारण पक्षकार बनाया है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 140 पर टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व का प्रार्थी के पूर्वजो का भौतिक कब्जा होने के कारण प्रार्थी को कानूनन इस्तकरार हक की घोषणा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वर्तमान मे भू प्रबंध विभाग ने तुलनात्मक क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा के नवीन ख0न0 396 रकबा 0.22 है0, ख0न0 397 रकबा 0.50 है0, 398 रकबा 0.30 है0 399 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 है0 बनाये है। प्रार्थी को हाल ख0न0 397,398,399 पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है। तथा ख0न0 396 रकबा 0.22 है0 पर अप्रार्थी संख्या 12 का भौतिक कब्जा होने के कारण पक्षकार बनाया है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा मृतक सुखपाल पुत्र हरदेवा मीना के वारिसान का हाल जमाबंदी सम्वत 2070 से सम्वत 2073 के खाता संख्या 255 मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। मृतक सुखपाल से लेकर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थी अपने खेत ख0न0 397,398 व 399 पर सरसो की फसल की बुआई करने गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने लठठ के बल पर ऐलानिया कहॉ कि इस भूमि की खातेदारी हमारे नाम से है। आप खेत को खाली कर देना। इस प्रकार विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी मे बाधा उत्पन्न नही करने रहन बेचान नही करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित त[illegible]हराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध [illegible]ीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पाडली की भूमि [illegible] 140 [illegible] बीघा 18 विस्वा अपीलांट के बुजुर्गान सुखपाल पुत्र हरदेवा मीना की खातेदारी एवं कब्[illegible] काश्त की भूमि है। जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि के नवीन ख0न0 396,397,398,399 बने है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय विधि के विरूद्व पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो/प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर फर्जी गिरदावरी करवा ली जिसका विधिक दृष्टि से कोई महत्व नही है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जबकि रेस्पो0 1 व 2 सामान्य जाति के है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने एडवर्स पजेशन को कब्जे का आधार नही मानकर केवल अतिकमी माना है। अपीलांट वर्तमान मे भी खातेदार है इस प्रकार खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि अपीलांट की कब्जे काश्त की एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर इस वर्ष अपीलांट ने स्याहलू की फसल काश्त कर रखी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के खातेदार काश्तकार होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधि विरूद्व पाबंद किया गया है जिससे अपीलांट भूमि की काश्त से वंचित हो जावेगे एवं अपूर्णनीय क्षति होगी। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पाडली मे स्थित कृषि भूमि साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी 3 पर रेस्पो0/प्रार्थी का कदीमी समय से भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। सम्वत 2013 से 2016 की प्रथम जमाबंदी के खाता संख्या 103 सुखपाल पुत्र हरदेवा मीना के नाम दर्ज थी लेकिन ख0न0 140 नन्दकिशोर रुगन्नाथ महाजन साकिन कुण्डेरा के नाम से उप कृषक राजस्व जमाबंदी मे दर्ज है। सम्वत 2025 से 2028 की जमाबंदी खाता संख्या 99 मे सुखपाल पुत्र हरदेवा के नाम का इन्द्राज है। लेकिन साबिक ख0न0 140 पर भौतिक कब्जा प्रार्थी के पूर्वजो के नाम का होने की ताईद खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2019 की सम्वत 2030 से सम्वत 2034 मे प्रार्थी के पूर्वजो का नाम बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज है। सम्वत 2013 मे उप कृषक नन्दकिशोर पुत्र रूगनाथ महाजन सम्वत 2014 मे नन्दकिशोर,रामनिवास,प्रभूदयाल ब्राहम्ण का नाम दर्ज है। सम्वत 2015 मे बृजमोहन पुत्र मांगीलाल का 2 बीघा 9 विस्वा, रामनिवास 1 बीघा 7 विस्वा, नन्दकिशोर का 1 बीघा 2 विस्वा पर कब्जा काश्त है। सम्वत 2016 मे बृजमोहन पुत्र मांगीलाल 2 बीघा 9 विस्वा, रामविलास 1 बीघा 11 विस्व ,नन्दकिशोर 1 बीघा 2 विस्वा सम्वत 2017 मे इन्द्राज है। सम्वत 2018 मे बृजमोहन पुत्र मांगीलाल का सम्पूर्ण हिस्से पर, सम्वत 2019 मे रामविलास पुत्र दयाचंद का सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा काश्त है। सम्वत 2030 मे रामविलास, प्रभूदयाल पुत्रान दयाचंद एवं सम्वत 2033 तक इन्द्राज बदस्तूर साबिक इन्द्राज के अनुसार रहा। सम्वत 2034 मे सीताराम पुत्र राधावल्लभ ,लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल, रामविलास पुत्र दयाचंद ब्राहम्ण के नाम से खसरा गिरदावरी मे इन्द्राज है। साबिक ख0न0 140 के पास स्थित ख0न0 138, 139/1,139/2,139/3 पर प्रार्थी के [illegible] कब्जा [illegible] होने के कारण नियमन हुई थी एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी मृतक प्रभूलाल [illegible] पारिवारिक बंटवारे मे साबिक ख0न0 140 का 3/4 हिस्से [illegible] कब्जा चला आ रहा है। एवं 1/4 हिस्से पर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 12 का भौतिक कब्जा होने के कारण पक्षकार बनाया गया था। विवादित भूमि साबिक ख0न0 140 पर टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0/प्रार्थी के पूर्वजो का भौतिक कब्जा होने के कारण रेस्पो/प्रार्थी को कानूनन इस्तकरार हक की घोषणा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ था। वर्तमान मे भू प्रबंध विभाग ने तुलनात्मक क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा के नवीन ख0न0 396 रकबा 0.22 है0, ख0न0 397 रकबा 0.50 है0, 398 रकबा 0.30 है0 399 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 है0 बनाये है। रेस्पो/प्रार्थी का हाल ख0न0 397,398,399 पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है तथा ख0न0 396 रकबा 0.22 है0 पर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 12 का भौतिक कब्जा होने के कारण पक्षकार बनाया गया था। विवादित भूमि साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा मृतक सुखपाल पुत्र हरदेवा मीना के वारिसान का हाल जमाबंदी सम्वत 2070 से सम्वत 2073 के खाता संख्या 255 मे अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया था। मृतक सुखपाल से लेकर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का भूमि पर कब्जा सिद्व होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पो/प्रार्थी के पक्ष मे सिद्व होने के कारण ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी/रेस्पो0 विवादित भूमि का किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नही है। अपीलांट का रेस्पो/प्रार्थी का अतिक्रमी होने का कथन मिथ्या है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि साबिक ख0न0 140 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा के नवीन ख0न0 396,397,398,399 बने है। जो कि ग्राम पाडली मे स्थित है। अपीलांट का कथन रहा कि रेस्पो0 द्वारा फर्जकारी कर गिरदावरी करवा ली गई है तथा भूमि पर कब्जा वर्तमान मे अपीलांट का होना बताया है। अपीलांट द्वारा कब्जे के संबंध मे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे की अपीलांट का कब्जा दर्शित हो सके। जबकि अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 से कब्जा रेस्पो0 का होने का अंकन है। चूकिः प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे मूल रूप से अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना होता ह। इस प्रकार विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा सिद्व नही होने से अपूर्णनीय क्षति होना का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट द्वारा कब्जे के संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे उसका कब्जा सिद्व हो सके। भूमि के अधिकार मूल दावे मे तय किये जाने है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण मे कब्जा मुख्य रूप से दर्शित करना आवश्यक होता है। जो अपीलांट द्वारा दर्शित नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 17/14 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:02 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकांत बालोटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner